अभिवंचित एवम् उपेक्षित वर्ग के लिए शिक्षा

स्वाधीन भारत ने पिछले 72 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में एक लम्बा फासला तय किया है जिसका प्रमाण है, देश में फैली शिक्षा व्यवस्था का ढाँचा। भारत विश्व का दूसरा देश है जहाँ विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के 20 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था गतिशील है। फिर भी समाज में कुछ वर्ग ऐसे हैं जिन्हे वंचित वर्ग या हाशिये पर खड़े लोगों की संज्ञा दी जाती है। अतः इनकी शिक्षा के बिना अभी 'सबके लिए शिक्षा' का प्रयास अधूरा ही है।

संविधान के नीति-निर्देशक तत्व में कहा गया था। संविधान के लागू होने के 10 वर्षों के भीतर राज्य 14 वर्षों की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा। आज संविधान के क्रियाशील होने के इतने वर्षों बाद भी इस आयु वर्ग के सभी बच्चों को शत-प्रतिशत साक्षरता नही मिल पाई है। उनमे सर्वाधिक संख्या हाशियें पुर खड़े लोगों अर्थात स्त्री, दलित व जनजाति वर्ग के लोगों की है। हाशिए पर खड़े लोगों के लिए निम्न शिक्षा की व्यवस्था की गयी है—

(A.) स्त्री शिक्षा हेतु प्रयास

(1.) कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना (K.G.B.V.P.)

भारत सरकार द्वारा सन् 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत प्रथम दो वर्ष तक एक अलग योजना के रूप में हुई। इन विद्यालयों की स्थापना भारत सरकार द्वारा उन बालिकाओं के लिए की जिन्होने बीच में ही विद्यालय छोड़ दिया या तथा जिनकी उम्र 10 वर्ष या उससे

अधिक है। इनकी शिक्षा के अवसर दोबारा उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। ये विद्यालय शैक्षिक रूप से पिछड़े उन विकास खण्डो में खोले गये हैं जहाँ अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति / जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की संख्या अधिक है और जहाँ ग्रामीण महिला साक्षरता कम है।

(2) पढ़े बेटियाँ, बढ़े बेटियाँ द्वारा स्त्री शिक्षा में प्रगति

इस योजना के तहत सूबे में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की हाईस्कूल उत्तीर्ण छात्राओं को आगे की पढाई जारी करने के लिए 30,000 एक मुश्त दिये जायेंगे। यह लाभ सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं तथा अनुसूचित जनजाति सभी वर्ग की छात्राओं को मिल सकेगा। ~~वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार का~~ इस योजना के माध्यम से गरीब तबके की बालिकाओं को अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने हेतु न केवल प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि सरकार द्वारा प्राप्त इस आर्थिक मदद के माध्यम से उन्हे शिक्षा सम्बन्धी सहूलियते भी मिल सकेंगी। अपनी आगे की पढाई के लिए वे अपने परिवार पर ही आश्रित न होंगी, वे अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने की उनकी राह स्वतः आसान हो जायेगी। अतः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित यह योजना किशोरवय बालिकाओं के लिए अत्यन्त लाभ-प्रद योजना है एवं स्त्री शिक्षा के विकास की ओर एक सार्थक प्रयास है।

Scanned with CamScanner